

विधान सभा प्रश्न क्रं. 2039 तारिकित का बिन्दु 'क' का उत्तर

परिशिष्ट-01

क्र. विभागीय योजनाओं का नाम

- 01 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- 1 अरहर कलस्टर प्रदर्शन- 9000 प्रति हेक्टेयर
- 2 वना कलस्टर प्रदर्शन- 9000 प्रति हेक्टेयर
- 3 कोटा कलस्टर प्रदर्शन- 6000 प्रति हेक्टेयर
- 4 कुटकी कलस्टर प्रदर्शन- 6000 प्रति हेक्टेयर
- 5 भक्का कलस्टर प्रदर्शन- 6000 प्रति हेक्टेयर
- 6 मूंग+जोई कॉपिंग सिस्टम प्रदर्शन - 15000 प्रति हेक्टेयर
- 7 उड़द+जोई कॉपिंग सिस्टम प्रदर्शन - 15000 प्रति हेक्टेयर
- 8 मूंग+भक्का इंटर कॉपिंग सिस्टम प्रदर्शन - 9000 प्रति हेक्टेयर
- 9 उड़द+भक्का इंटर कॉपिंग सिस्टम प्रदर्शन - 9000 प्रति हेक्टेयर
- 10 वना+जोई इंटर कॉपिंग सिस्टम प्रदर्शन - 9000 प्रति हेक्टेयर
- 11 वना, अरहर, मूंग, उड़द मर्र प्रमाणित बीज वितरण पर 50 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 5000 प्रति बिंदु
- 12 सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण पर 50 प्रतिशत या रु.500 अनुदान जो भी कम हो (1)। के माध्यम से कुचकों के खातों में भुगतान।
- 13 जिल्दाम पर कीमत का 50% या रु.750/-
- 14 लाईम पर कीमत का 50% या रु.1000/-
- 15 जैव उर्वरक कीमत का 50% या रु.300/-
- 16 सिप्रॉन्गर वितरण- 02 हेक्टेयर तक के किसानों को 55% एवं 02 हेक्टेयर से अधिक के किसानों को 45% अनुदान
- 17 डीजल/विद्युत पंप वितरण- 50% अनुदान या अधिकतम रु 10000/-
- 18 पाईप लाईन वितरण- 02 हेक्टेयर तक के किसानों को 55% एवं 02 हेक्टेयर से अधिक के किसानों को 45% अनुदान
- 19 संकर भक्का 50% अनुदान पर वितरण
- 20 कोटी, कुटकी एवं ज्यार 50% अनुदान पर बीज वितरण या अधिकतम रु.3000 प्रति बिंदु
- 02 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (वितरण)
- 1 बीज वितरण अनुदान -आधार बीज उत्पादन रु.750/- प्रति बिंदु
- प्रमाणित बीज उत्पादन रु.2000/- प्रति बिंदु
- 2 कलस्टर प्रदर्शन - सोयाबीन फसल पर रु.6000/- प्रति हेक्टेयर, गमतिन प्रदर्शन रु.3000/- प्रति हेक्टेयर

3	पौध संरक्षण दवाईयां- अधिकतम रु.5000/- प्रति हेक्टेयर
4	सूे पंप- हस्त चलित पर अधिकतम रु.7500/- या कीमत का 50%
5	स्प्रिंकलर वितरण- 02 हेक्टेयर तक के किसानों को कीमत का 55% एवं 02 हेक्टेयर से अधिक के किसानों को कीमत का 45% अनुदान
6	डीजल/विद्युत पंप वितरण- कीमत का 50% अनुदान या अधिकतम रु. 100000/-
7	पाईप लाईन वितरण- 02 हेक्टेयर तक के किसानों को कीमत का 55% एवं 02 हेक्टेयर से अधिक के किसानों को कीमत का 45% अनुदान
03	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
1	स्प्रिंकलर सेट-02 हेक्टेयर तक के किसानों को कीमत का 55% एवं 02 हेक्टेयर से अधिक के किसानों को कीमत का 45% अनुदान
2	ड्रिप सिस्टम-02 हेक्टेयर तक के किसानों को कीमत का 55% एवं 02 हेक्टेयर से अधिक के किसानों को कीमत का 45% अनुदान
3	बलराम तालाब- सामान्य वर्ग के लिए तागत का 40% या अधिकतम रु.800000/- एवं अनाज अना के लिए 50% अनुदान या अधिकतम रु.1000000/-
04	राज्य पोषित नलकूप योजना -अनाज एवं अना कृषकों को नलकूप खनन पर रु.250000/- एवं पंप प्रतिस्थापन पर रु.150000/- कुल रु.400000/-
05	बीजगाम योजना - दलहन/तिलहन फसलों पर अधिकतम कीमत का 60% एवं अनाज फसलों पर कीमत का 50 % अनुदान
06	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कोदो-कुटकी, ज्वार बीज वितरण पर कीमत का 50% अनुदान या अधिकतम रु.3000 प्रति विवंटल

पुस्तक 01 के 02 पृष्ठ

अपसर्वात्मक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
शिबुवाड़ा

अनुभावा अधिकारी (2)

मध्य प्रदेश शासन,
कृषि विभाग, मन्डला

विधान सभा प्रश्न क्रं. 2039 तारांकित का बिन्दु 'ग' का उत्तर

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	जैविक कृषि करने वाले किसानों की संख्या	जैविक कृषि का रकबा (हिक्टे.में)
1	छिन्नवाड़ा	172	80.00
2	चौरई	120	34.00
3	मोहरखेड	183	72.00
4	अमरवाड़ा	148	59.20
5	हरई	355	228.00
6	परसिया	270	112.00
7	जुन्जारदेव	156	62.40
8	तामिया	45	52.00
9	सौसर	40	25.00
10	पांढुर्णा	168	67.20
11	बिछुआ	147	106.00
योग		1804	897.80

उपरोक्त
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
छिन्नवाड़ा

अनुभावा अधिकारी (2)

मुख्य प्रवेश शासन,
कृषि विभाग, संजालय, भोपाल.